


| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए |
|---------------|---|---|
| 28/6/19 | <p>पत्रावली पेश हुई।</p> <p>प्रार्थी अधिवक्ता उप०। विप्रार्थी संख्या 8 पैरोकार उप०। उभय पक्ष को सुना।</p> <p>प्रार्थी ने इस आशय का वाद प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 1 से 6 की संयुक्त खातेदारी की भूमि खेत खसरा नम्बर 612 रकबा 140.01 बीघा मौजा शिव, पटवार मण्डल शिव, तह० शिव मे अवस्थित है।</p> <p>वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के रिश्तेदारों द्वारा भूलवंश प्रार्थी का नाम अबूबकर पुत्र हलीम अंकित करवा दिया गया, जबकि वादी का सही नाम अब्दुला पुत्र हलीम है। प्रार्थी के अन्य सभी आवश्यक सरकारी दस्तावेजो मे भी प्रार्थी का नाम अब्दुला पुत्र हलीम दर्ज है। अतः प्रार्थी ने वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में अपने नाम के शुद्धिकरण हेतु वाद प्रस्तुत किया है।</p> <p>आवेदन दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण पैरोकार को सम्मन जारी किया गया। विप्रार्थी तहसीलदार शिव ने अपने जबाब मे प्रार्थी के नाम को दुरुस्त किये जाने मे अपनी अनापति जाहिर की है। प्रार्थी ने ब्यान शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी ने अपने ब्यान शपथ पत्र में दस्तावेज प्रदर्श करवाये। प्रार्थी ने अपने आवेदन के समर्थन में दस्तावेजात नकल वर्तमान जमाबंदी, आधार कार्ड, भामाशह कार्ड, मतदाता पहचान पत्र व अन्य दस्तावेजात प्रस्तुत किये।</p> <p>हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो व मौखिक अभिकथनों तथा विप्रार्थीगण के जवाब का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थी का नाम अब्दुला पुत्र हलीम ही है।</p> <p>लिहाजा प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर खेत खसरा नम्बर 612 रकबा 140.01 बीघा मौजा शिव, पटवार मण्डल शिव, तह० शिव की भूमि के राजस्व रेकर्ड मे अन्य सभी प्रविष्टियां यथावत रखते हुए प्रार्थी का नाम अबूबकर पुत्र हलीम के स्थान पर अब्दुला पुत्र हलीम घोषित किया जाता है।</p> <p>तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अमलदरामद सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है। ।</p> <p>पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।</p> <p>निर्णय आज दिनांक 28.06.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।</p> | |


 उपखण्ड अधिकारी
 शिव

